

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

क्रमांक: रसद/विज्ञापित/उ०मू.दु.आवंटन/2025/1882 दिनांक :- 10.11.2025

-: विज्ञापित :-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत श्रीगंगानगर जिले में कुल 2 नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के आवंटन करने हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार-पत्र जारी किये जाने हेतु सशुल्क आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2025 से कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर (जिला कलक्टर कार्यालय परिसर) से (राजकीय अवकाश को छोड़कर) 100/-रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के पक्ष में प्रस्तुत कर प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र विहित रीति से भरे जाकर पात्रता सम्बन्धी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति व घोषणा पत्र के साथ दिनांक 26.11.2025 को सायं 6.00 बजे तक कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर में जमा कराये जा सकेंगे। नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०स०	नाम तहसील	नवसृजित (ग्रामीण/शहरी)	विज्ञापित एफपीएस की संख्या व आरक्षण
1.	श्रीगंगानगर	शहरी वार्ड नं. 57 पुराना वार्ड नं. 45 श्रीगंगानगर	01-(महिला आरक्षित)
2.	अनूपगढ़	ग्राम 87 जीबी (ए) ग्राम पंचायत 78 जीबी	01-(अनारक्षित)

उपरोक्त नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक एफ17(1)खावि/विधि/08 दिनांक 17.03.2016 एवं पत्रांक एफ17(5)खावि/न्याय/ महि.आर/2019 दिनांक 25.11.2020 तथा पत्रांक एफ17(4)खा.वी./न्याय/2025 दिनांक 10.05.2025 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश में वर्णित चयन प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जावेगी। उचित मूल्य दुकानों का आवंटन के सम्बन्ध में योग्यता, चयन मापदण्ड एवं अन्य दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.in व जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

Signature valid

Digitally signed by Kanta
Designation: District Supply Officer
Date: 2025.11.10 12:33 IST
Reason: Approved

उक्त नवसृजित उचित मूल्य दुकानों में कमी/वृद्धि/संशोधन विभाग द्वारा किया जा सकता है तथा नवसृजित को भरने/ना भरने के सम्बन्ध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा।

उक्त विज्ञप्ति में दुकानों का आवंटन/नियुक्त विभिन्न अपीलीय/न्यायिक न्यायालयों के निर्णयों के अध्वधीन होगा।

(कविता)

जिला रसद अधिकारी,
श्रीगंगानगर

क्रमांक:-सम/1883-1904

दिनांक :- 10.11.2025

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज. जयपुर।
- 2 श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज. जयपुर।
- 3 श्रीमान् संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
- 4 श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज. जयपुर।
- 5 श्रीमान् उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज. जयपुर।
- 6 माननीय सांसद महोदय जिला श्रीगंगानगर।
- 7 माननीय विधायक महोदय, विधान सभा क्षेत्र गंगानगर/सादूलशहर/अनूपगढ।
- 8 माननीय जिला प्रमुख महोदय, श्रीगंगानगर।
- 9 श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, श्रीगंगानगर।
- 10 उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार(समस्त)।
- 11 निजी सचिव, जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
- 12 सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां श्रीगंगानगर/अनूपगढ।
- 13 सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, श्रीगंगानगर
- 14 ए.सी.पी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
- 15 प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक(समस्त)।
- 16 जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, श्रीगंगानगर को जन सधारण की जानकारी हेतु स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रसारण करने एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

Signature valid

Digitally signed by Kavita
Designation: District Supply Officer
Date: 2025.11.10 12:33 IST
Reason: Approved

- 17 लेखा शाखा कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से 100/-रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के पक्ष में प्राप्त कर आवेदन पत्र देना व वापिस जमा करना सुनिश्चित करें।
- 18 नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा

Signature valid

Digitally signed by Kavita
Designation: District Supply Officer
Date: 2025.11.07 12:33 IST
Reason: Approved